संख्या – /XXVII(1)/2005

प्रेषक,

एल0 एम0 पंत
अपर सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तरांचल,
देहरादून।

वित्त अनुभाग – 1

देहरादून : दिनांक 15 फरवरी, 2005

विषय :– 11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थानों के लेखों के रख–रखाव हेतु नवीन 16 प्रपत्रों के मुद्रण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 1336/पं0–2/लेखा/11वाँ वित्त आयोग/2004–05 दिनांक 8 फरवरी 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या– 439/वि0अनु0–1/2004 दिनांक 11 जून 2004 के अनुक्रम में 11वें वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं हेतु संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत समस्त जिला पंचायतों के लेखों के रख–रखाव हेतु सी0ए0जी0 द्वारा निर्धारित 16 प्रपत्रों के मुद्रण हेतु अवशेष धनराशि रू0 52000 (रू0 बावन हजार मात्र) को आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में नियम, शर्तें एवं प्रतिबंध शासनादेश सं0–439/वि0अनु0–1/2004 दिनांक 11 जून, 2004 के अनुसार ही होंगी।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–7 के अन्तर्गत 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थाएं–196–जिला पंचायतें/परिषदें–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0101–11वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एल0 एम0 पंत)
अपर सचिव, वित्त

Nagar Panchayat

संख्याः – 187 (1) / XXVII(1)/2005 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तरांचल शासन।
2– सचिव, पंचायती राज, उत्तरांचल शासन।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल, उत्तरांचल।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5– समस्त अपर मुख्य अधिकारी, ~~उत्तरांचल~~। जिला पंचायत उत्तरांचल
6– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरांचल।
7– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
8– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल शासन।
9– एन0आई0सी0, उत्तरांचल।

आज्ञा से,
18/1/2005
( एल0 एम0 पंत)
अपर सचिव, वित्त